यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री,
RAS

प्रकरण संख्या –72/2021
दायर दिनांक– 18.02.2021

1. श्री गिरधारी पिता चांदमल सोनी उम्र–वयस्क निवासी रोलाहेड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. श्रीमती तुलसीबाई पत्नी चांदमल सोनी उम्र–वयस्क निवासी रोलाहेड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. श्रीमती शांतिदेवी पुत्री चांदमल सोनी व पत्नी श्री रूपलाल सोनी उम्र–वयस्क निवासी रोलाहेड़ा हाल मुकाम आजादनगर, भीलवाड़ा ।
4. श्रीमती रतनदेवी पुत्री चांदमल व पत्नी श्री प्रेमलाल सोनी उम्र–वयस्क निवासी रोलाहेड़ा हाल मुकाम बड़ा मंदिर के पास, भीलवाड़ा
5. श्रीमती कलावती पुत्री चांदमल सोनी व पत्नी श्री ओमप्रकाश सोनी उम्र– वयस्क, निवासी रोलाहेड़ा हाल मुकाम पुरानी तहसील के पास भीलवाड़ा
6. श्रीमती रामकन्या पुत्री चांदमल सोनी व पत्नी श्री सोहनलाल सोनी उम्र– वयस्क, निवासी रोलाहेड़ा हाल मुकाम सलुम्बर, जिला उदयपुर

................अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्री कानमल पिता चांदमल सोनी उम्र– वयस्क, निवासी रोलाहेड़ा हाल मुकाम तेजाजी चोक प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़
2. तहसीलदार साहब, चित्तौड़गढ़

.... रेस्पोंडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.11.2017 पारित द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बसिलसिले मुकदमा नं0 09/2017

उपस्थितः–

1. श्री संजय सेन, अधिवक्ता वास्ते अपीलाण्ट।
2. श्री नरेश जणवा, अधिवक्ता वास्ते रेस्पोंडेण्ट संख्या 1
3. राजकीय अधिवक्ता, वास्ते रेस्पोंडेण्ट संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 16.07.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहां रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तकरण संख्या 861 दिनांक 19.09.2013 की अपील संख्या 09/2017 पेश करते हुए निवेदन किया कि मूल पुरूष चांदमल के वारीसान पक्षकारान है तथा चांदमल की मृत्यु के बाद ग्राम रोलाहेड़ा की आराजी नं0 371

व 372 का नामान्तकरण विरासत से अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 6 (अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के) दर्ज हुआ जो मृतक चांदमल के दो पुत्र गिरधारी व कानमल, पत्नी श्रीमती तुलसीबाई व 4 पुत्रियां श्रीमती शांतिदेवी, रतनदेवी, कलावती व रामकन्या के नाम नामान्तकरण दर्ज हुआ । इसके पश्चात् चांदमल की चारों पुत्रियों द्वारा श्री गिरधारी के पक्ष में दिनांक 25.06.2013 को एक पंजीकृत हक त्याग कर दिया एवं इसके आधार तहसीलदार ने नामान्तकरण संख्या 861 से चारों पुत्रियों रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 से 6 का हिस्सा रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 गिरधारी के नाम दर्ज कर दिया जिससे असंतुष्ठ होकर अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की । श्री कानमल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश कर निवेदन किया कि श्री गिरधारी के पक्ष में चारों बहिनों द्वारा पंजीकृत विलेख हक परित्याग किया गया है जबकि रिलीजडीड के द्वारा अपना हिस्सा शेष सह खातेदारान के पक्ष में रिलीज किया जाता है ना कि किसी एक खातेदार के पक्ष में रिलीज किया जा सकता है । किसी एक खातेदार के पक्ष में अपना हिस्सा हस्तान्तरित करवाने के लिए विक्रय–पत्र या बक्शीशनामा के जरिये ही अपना हिस्सा हस्तान्तरित किया जा सकता है । अतएवं अन्य रेस्पोंडेण्ट द्वारा रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में किये गये हक त्याग अपीलाण्ट के हितों के मुकाबले शून्य है एवं नामान्तकरण को निरस्त किया जावें तथा नामान्तकरण अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 6 के नाम से खोले जाने का आदेश प्रदान करावें ।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेण्ट /इस न्यायालय में अपीलाण्ट के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये व दिनांक 09.11.2017 को उनकी अनुपस्थिति में अपीलाण्ट की बहस सुनी गयी व दिनांक 13.11.2017 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

> **"अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर जानकारी होने की पूर्व की देरी की अवधि कण्डोन की जाती है तथा अपील अंदर मियाद मानी जाकर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर ग्राम रोलाहेडा तहसील चित्तौड़गढ़ के नामान्तकरण संख्या 861 स्वीकृत दिनांक 19.09.2013 को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि हक त्याग किया गया हिस्सा अपीलाण्ट एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 6 के हिस्से में बराबर हक से दर्ज किया जावें ।"**

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13.11.2017 से असंतुष्ठ होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील सर्वप्रथम न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में दिनांक 20.04.2018 को पेश की जो पुनः इस न्यायालय में 04.06.2018 को दर्ज हुई । दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन व शपथ–पत्र भी पेश किया । अपीलाण्ट के अखण्डित शपथ–पत्र व न्यायहित में अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है । अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी व रेस्पोंडेण्ट्स को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा ने उपस्थिति दी व रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी । अपीलाण्ट द्वारा अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पारित किया है तथा बिना विवेक निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में अन्य अपीलाण्ट द्वारा

अपीलाण्ट संख्या 1 के हक में पंजीकृत विलेख दिनांक 25.06.2013 से हक त्याग किया है । ऐसी स्थिति में जबकि पंजीकृत दस्तावेज को किसी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक उसे शून्य घोषित किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती । अपीलाण्ट द्वारा प्रमुख रूप यह निवेदन किया गया कि यदि अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना है कि विरासती इंतकाल में सिर्फ सहखातेदार अपना हिस्सा परित्याग कर सकता है, किसी खातेदार विशेष के पक्ष में अपना हिस्सा रिलीज नहीं कर सकता एवं इसके लिए बक्शीशनामा या विक्रय ही करना होगा तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के दृष्टिकोण से उक्त दस्तावेज जो कि अपीलाण्ट संख्या 2 से 5 ने किया, वह विधिक रूप से मान्य नहीं हो तो रिलीजकर्ता की इच्छा के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में रेस्पोंडेण्ट को 1/2 हिस्सा दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है । वकील रेस्पोंडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील खारिज करने की इस्तदुआ की ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली के रेकर्ड को अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए अपना निर्णय पारित किया है एवं तद्नुसार विभिन्न न्यायिक नजीरों एवं विद्यमान कानूनों के तहत विरासत के उत्तराधिकारियों द्वारा किसी उत्तराधिकारी विशेष के पक्ष में रिलीज नहीं किया जा सकता एवं तद्नुसार ऐसे रिलीज की वैधानिकता नहीं है तो उस रिलीज को मान्यता देकर रिलीजकर्ताओं की इच्छा के विरूद्ध जिसके पक्ष में रिलीज नहीं किया गया है, उसे भी रिलीज से प्राप्त हिस्से को दिया जाना कदापि उचित नहीं है ।

उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है अतएवं नामान्तकरण संख्या 861 दिनांक 19.09.2013 एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.11.2017 अपास्त किये जाकर यह आदेशित किया जाता है कि मृतक श्री चांदमल सोनी की विरासत से ग्राम रोलीहेड़ा की आराजी नं0 371 व 372 में रिलीज डीड से खुले नामान्तकरण से पूर्व के प्राकृतिक विरासत से खुले नामान्तकरण को बहाल किया जावें एवं तद्नुसार ही प्राकृतिक वारीसान के नाम मृतक चांदमल की उपरोक्त विवादित आराजीयात को दर्ज किया जावें ।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर